भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या645

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का दिल्ली पुलिस द्वारा डिजिटल उपकरण से चालान किया जाना

645 श्री सालिम अन्सारीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस यातायात नियमों का पालन न करने वालों का चालान कर राजस्व एकत्र करने हेतु विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग कर रही है;
(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किया गया हाल का तरीका पुलिस कर्मचारियों का कारों के वायुरोधी शीशों पर डिजिटल उपकरण लगाना है जो मार्गो पर यातायात उल्लंघन की तस्वीर ले लेंगे;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः और
(घ) दिल्ली पुलिस नए तरीकों के माध्यम से लोगों का चालान करने की बजाय एक ही लेन में गाड़ी चलाने के संबंध में उन्हें जानकारी प्रदान करने में विफल क्यों रही है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): दिल्ली पुलिस ने हाथ से लिखकर चालान काटने की पद्धति को बदल कर दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहन चालकों का चालान करने के लिए दिनांक 05.12.2013 से ई-चालान प्रणाली शुरु की है। प्रत्येक ट्रैफिक पुलिस सर्कल में कुछ ट्रैफिक पुलिस कार्मिकों को डिजिटल स्टिल कैमरे भी प्रदान किए गए हैं, ताकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 133 के अधीन नोटिस जारी करने के लिए दोषी मोटर वाहनों के फोटोग्राफ लिए जा सकें और यातायात नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करने वालों का तत्पश्चात चालान किया जा सके।

(ख) और (ग): दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसा कोई तरीका शुरू नहीं किया गया है।

(घ): दिल्ली पुलिस आम जनता को प्रेस विज्ञापनों, एफ एम चैनलों पर घोषणाओं, सोशल मीडिया पर कवरेज, सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य के वितरण आदि के माध्यम से नियमित रूप से शिक्षित करती रहती है। शहर में चालक के आचरण पर दृष्टिगोचर प्रभाव लाने के उद्देश्य से और मोटर चालकों के बीच लेन का अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस अनुचित रूप से लेन बदलते हुए पाए गए व्यस्त ट्रैफिक के बीच रोड हॉगिंग करने वाले, निर्धारित

लेन में वाहन नहीं चलाने वाले मोटर चालकों को शिक्षित करने और उन पर अभियोजन चलाने के लिए भी नियमित रूप से जोर देती है। दिल्ली पुलिस ने चयनित सड़कों पर दिनांक 23.02.2015 से एक विशेष प्रवर्तन अभियान शुरु किया है, जिसमें अभियान के दौरान "नो टॉलरेंस अगेंस्ट लेन इनडिसिप्लिन" पर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सभी सिविक रोड एजेंसियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में बस लेनों का उपयुक्त निशान बनाने, पीली लेन का निशान बनाने, बस बाक्स का निशान बनाने, स्टॉप लाइन का निशान बनाने, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने आदि का अनुरोध किया गया है ताकि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

*****